

**फर्द अहकाम**  
**न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द**

श्री भैरूसिंह पिता श्री पूनम सिंह निवासी गावं/पोस्ट आंजना तहसील देवगढ, जिला  
राजसमन्द

— अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ


— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 102/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p><b>दिनांक 24.11.2025</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ से जरिये पत्र क्रमांक—सूकाअ/18/2025/103 दिनांक 19.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री भैरूसिंह पिता श्री पूनम सिंह निवासी गावं/पोस्ट आंजना तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक सूकाअ/18/2025/85 दिनांक 24.09.2025 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाएं अपीलार्थी को कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक सूकाअ/18/2025/85 दिनांक 24.09.2025 द्वारा उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



  
लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी  
(जिला कलक्टर) राजसमंद